

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

वित्त (नियम) विभाग

क्रमांक: एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/09/2017/624

दिनांक: 03-02-2017

कार्यालय आदेश

निगम संचालक मण्डल के निर्णय संख्या 43/2016 दिनांक 05.12.16 की पालना में कार्यालय आदेश संख्या एफ4(13)/वित्त/नियम/9/2015/9792 दिनांक 26.10.2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के बिन्दु संख्या 2 (vii) के अन्तर्गत मुख्य उत्पादन प्रबन्धक को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

बिन्दु संख्या 2(vii)- बजट प्रावधान के अनुरूप मशीनों, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण आदि के रख रखाव पर खर्चा ।

मुख्य उत्पादन प्रबन्धक- 10,000/- रुपये प्रत्येक मामले में, 30,000/- रुपये वार्षिक ।

यह संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू माना जावेगा ।



(राजेश यादव)

प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक: एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/09/2017/624

दिनांक: 03-02-2017

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 निजी सचिव, अध्यक्ष/ प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
- 2 कार्यकारी निदेशक(), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
- 3 महा प्रबन्धक(), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
- 3 उप महा प्रबन्धक ()/कार्यकारी प्रबन्धक, ()रा.रा.प.प. निगम, मु. जयपुर ।
- 5 उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) निगम के वित्त विभाग की वेबसाइट पर इस आदेश को अपलोड करावें ।
- 6 निगम सचिव, रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
- 7 मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, के0 कार्यशाला, रा.रा.प.प. निगम, ।
- 8 लेखाधिकारी() रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
- 9 मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प. निगम, ।
- 10 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1(), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
- 11 आदेश/रक्षित पत्रावली ।



(परमेश्वरी चौधरी)

वित्तीय सलाहकार